न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली।
फौजदारी अपील संख्या– **35 / 2022**
रणजीत सिंह प्रति उत्तराखण्ड राज्य।

10.06.2025

वाद पुकारा गया। पुकार पर अपीलार्थी रणजीत सिंह की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर भारती उपस्थित आए।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री प्रकाश सिंह भण्डारी उपस्थित आए।

अपीलार्थी के विद्वान ब्रीफ होल्डर द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या–39ख पेश कर कथन किया कि आज अपीलार्थी अनुपस्थित है, अपीलार्थी की हाजिरी माफी जरिये विद्वान ब्रीफ होल्डर प्रदान की जाय तथा आज बहस की तैयारी नही हो पायी है, बहस हेतु एक तिथि प्रदान करने की कृपा की जाए, जिस पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अनापत्ति दर्शित करने से स्थगन प्रार्थना पत्र **अंतिम अवसर देकर** स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 05.07.2025 को पेश हो।

(बिन्ध्याचल सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
चमोली।